सरवाड़
160/21/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामलाल V/s आशा वगै.

तारीख	2021/160	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री रविकिरण परीक्षा	श्री शिवप्रकाश / रे 6	

7.9.21

रामलाल बनाम आशा वगैरह

पत्रावली वास्ते जवाब व सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 6 ने स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर, प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने का निवेदन किया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने में त्रुटि कारित की है। वादग्रसत आराजियात मे अपीलांट का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है जिनके विरूद्ध एक पक्षीय रूप से खातेदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र तस्दीक किये जाने के उपरान्त कब्जे काश्त में भी नहीं है के द्वारा प्रस्तुत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित नहीं किया जाता है तो आक्षेपित आदेश की आड़ में प्रार्थी उनकी काबिज आवासिय रूपान्तरण आराजियात से महरूम कर दिया जावेगा जिससे प्रार्थी/अपीलांट को अूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 260/2020 बउनवानी आशा बनाम रामलाल में पारित आदेश दिनांक 08.07.2021 व 15.10.2020 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से0 6 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि ग्राम गुजरवाड़ा की जमाबंदी सम्पत 2071 से 2074 की आराजीयात खाता संख्या 141–126 खसरा नम्बर 348 रकबा 1.4100 है0 है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है तथा अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिजचला आ रहा है। वाद वर्णित आराजीयात का आपसी सहमति से मौके पर भौतिक रूप से विभाजन कर अपने अपने हिस्से अनुसार करीब 25 वर्ष पूर्व से काबिज चले आ रहे है। जिंस बाबत् अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। विवादित आराजी रहन,बय व मुन्तकिल नहीं हो इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.10.2020 को विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे अंन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि सम्मत है। उक्त आदेश से अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं हो रहा है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित किया जाता है तो अपीलांट विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बेचान कर सकते है। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी एवं वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी। अपीलांट ने आदेश दिनांक 08.07.2021 के विरूद्ध अपील पेश किया है। उक्त आदेश अन्तरिम आदेश है जिसकी अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील को खारिज फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया

लगातार 2–

सरवाड़

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

160/21/225 श्यामलाल V/s आशा वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/160 श्री रविकुमार अरोड़ा श्री शिवप्रकाश चौधरी 1ए.डी.	
लगातार	गया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को यह कथन करते हुए खारिज किया है कि पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य व उभयपक्ष को सुनकर किया जावेगा। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करें। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियमं का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	